



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02012024-251056  
CG-DL-E-02012024-251056

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 01]  
No. 01]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 1, 2024/पौष 11, 1945  
NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 1, 2024/PAUSHA 11, 1945

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2023

सं. सीडीएन-19012/5/2023-समन्वय-एनएमसी-(i).—राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के साथ निहित, और विशिष्ट रूप से राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम 30) की धारा 35, 36, 37, 38, 39 और 40 के साथ पठित धारा 57 की उपधारा (2) की उपधारा (जेडपी), (जेडक्यू), (जेडआर), (जेडएस), (जेडटी), धारा 24 की उपधारा (1जे), धारा 25 की उपधारा (1आई), धारा 26 की उपधारा (1एफ) के माध्यम से प्रदत्त समग्र प्राधिकार का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग निम्नलिखित विनियम बनाता है –

अध्याय I - प्रारंभिक, संक्षिप्त शीर्षक, परिभाषाएँ

- नामावली - इन विनियमों को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (चिकित्सा योग्यता की मान्यता) विनियम, 2023 और संक्षिप्त रूप में इसे "एनएमसी मान्यता" विनियम कहा जाएगा।
- विनियमों का प्रारंभ - ये सभी विनियम राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशन के तिथि से प्रवृत्त होंगे।
- परिभाषाएं - इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इसमें परिभाषित शब्दों का वही अर्थ होगा, जो नीचे दिया गया है और इनकी सजातीय अभिव्यक्तियों और विविधताओं का अर्थ तदनुसार समझा जाएगा –
  - "अधिनियम" से राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्या 30) अभिप्रेत होगा।

- ख. "आयोग" से राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 की धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अभिप्रेत होगा।
- ग. "विदेशी प्राधिकरण" से भारत के बाहर किसी भी देश में ऐसा प्राधिकरण अभिप्रेत होगा, जिसे भारत में अपनी चिकित्सा योग्यता या योग्यताओं की मान्यता के लिए आयोग के पास आवेदन करने के लिए उस देश के कानून द्वारा उस देश में चिकित्सा योग्यता को मान्यता देने की शक्ति सौंपी गई है या दी गई है।
- घ. "सूची" से भारत में मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यताओं की सूची अभिप्रेत होगी, जिसे संबंधित बोर्ड द्वारा अधिनियम की धारा 35 के अनुसार तैयार किया गया है।
- ङ. "चिकित्सा संस्थान" से राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 की धारा 2 की उपधारा (i) में परिभाषित चिकित्सा संस्थान अभिप्रेत होगा और इसमें आम तौर पर समझे जाने वाले रूप में मेडिकल कॉलेज भी शामिल होगा।
- च. "पीजीएमईबी" से राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 की धारा 16 के अधीन विधिवत रूप से गठित स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड अभिप्रेत है।
- छ. "निरीक्षण" - निरीक्षण की अभिव्यक्ति या गतिविधि में वास्तविक और/या डिजिटल रिकॉर्ड या जानकारी का वर्चुअल और/या भौतिक निरीक्षण और/या मूल्यांकन शामिल होगा।
- ज. "एमएसआर" से समय-समय पर यथास्थिति किसी भी बोर्ड (यूजीएमईबी या पीजीएमईबी) द्वारा अधिसूचित आवश्यकताओं के न्यूनतम मानक अभिप्रेत होंगे, जिसमें इन बोर्डों या आयोग द्वारा जारी किए गए व्याख्यात्मक नोट, परिपत्र, एडवाइजरी आदि भी शामिल होंगे।
- झ. "यूजीएमईबी" से राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1)(क) के तहत विधिवत रूप से गठित स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड अभिप्रेत होगा।

4. व्याख्या - इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दों और वाक्यांशों जिन्हें यहां परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 में परिभाषित किया गया है, का वही अर्थ होगा जो वहां दिया गया है।

#### अध्याय II - भारत में मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यताओं की व्यापक सूची

5. मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यताओं की सूची का रखरखाव - स्नातक चिकित्सा योग्यता के संबंध में स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड और स्नातकोत्तर चिकित्सा योग्यता के संबंध में स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड द्वारा बनाए रखी जाने वाली भारत में मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यताओं की सूची रखी जाएगी।

I. मान्यता प्राप्त स्नातक योग्यताओं की सूची:

एम.बी.बी.एस.(बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी)

II. मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर योग्यताओं की सूची:

क. स्नातकोत्तर बोर्ड विशेष योग्यता [एम.डी.(डॉक्टर ऑफ मेडिसिन)/ एम.एस.(मास्टर ऑफ सर्जरी)] - पीजीएमईआर-2023 का अनुलग्नक-I

ख. स्नातकोत्तर अति विशेष पाठ्यक्रम [डी.एम.(डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन)/ एम.सीएच.(मास्टर ऑफ चिरुर्गी)] - पीजीएमईआर-2023 का अनुलग्नक-II

ग. स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम-पीजीएमईआर-2023 का अनुलग्नक-III

घ. पोस्ट-डॉक्टरल प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम(पीडीसीसी) -पीजीएमईआर-2023 का अनुलग्नक-IV

ङ. पोस्ट-डॉक्टरल अधिछात्रवृत्ति(पीडीएफ)- पीजीएमईआर-2023 का अनुलग्नक-V

च. डी.एम./एम.सीएच. छ: वर्ष की अवधि के पाठ्यक्रम- पीजीएमईआर-2023 का अनुलग्नक-VI

III. एनएमसी अधिनियम,2019 के अनुसार भारत में वैधानिक निकाय या अन्य निकाय द्वारा दी गई चिकित्सा योग्यता की श्रेणियों की सूची

IV. भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की तीसरी अनुसूची के भाग-I के अनुसार योग्यताओं की सूची

V. भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची के भाग-II के अनुसार योग्यताओं की सूची

परंतु, उपरोक्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना भारत में चिकित्सा योग्यताओं की तैयार की गई ऐसी सूची को नियमित रूप से अद्यतन किया जाएगा और संबंधित बोर्डों द्वारा प्रकाशित किया जाएगा।

अनुमोदित पाठ्यक्रमों की सूची (अनुसूची-I) संबंधित बोर्डों (यूजीएमईबी और पीजीएमईबी) द्वारा रखी जाएगी और समय-समय पर अद्यतन की जाएगी।

**अध्याय III - नई चिकित्सा योग्यताओं को शामिल करना**

**6. नई चिकित्सा योग्यता को शामिल करने के लिए आवेदन -** नई योग्यता को शामिल करने के लिए आवेदन की स्वीकृति संबंधित बोर्ड द्वारा तत्संबंधी आवश्यकता पर सोच-विचार के अधीन होगी।

स्नातक या स्नातकोत्तर या सुपर-स्पेशियलिटी चिकित्सा योग्यता प्रदान करने वाला कोई भी चिकित्सा संस्थान किसी भी नई चिकित्सा योग्यता को शामिल करने के लिए ऐसे दस्तावेजों और सूचना के साथ संबंधित बोर्ड के पास आवेदन कर सकता है, जो पहले से सूची में शामिल नहीं है।

परंतु कोई विदेशी प्राधिकरण किसी भी चिकित्सा योग्यता को शामिल करने के लिए ऐसे दस्तावेजों और सूचना के साथ संबंधित बोर्ड के पास अपना आवेदन जमा करेगा, जो पहले से सूची में शामिल नहीं है।

**7. आवेदन शुल्क -** धारा 8 में दर्शाए गए ऐसे किसी भी आवेदन पर संबंधित बोर्डों द्वारा तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि शुल्क के रूप में प्रति योग्यता 2,50,000/- रुपये (दो लाख पचास हजार रुपये मात्र) जमा न किए जाएं।

परंतु भारत के बाहर किसी भी देश में कोई भी विदेशी प्राधिकरण, जिसे मान्यता सौंपी गई है, एक प्रोफार्मा में अपना आवेदन जमा करते समय आयोग को शुल्क के रूप में प्रति योग्यता \$ 10,000 (केवल दस हजार अमेरिकी डॉलर) भेजेगा।

**8. सूचना, अतिरिक्त सूचना आदि प्रस्तुत करना -** धारा 8 के तहत जमा किए गए किसी भी आवेदन पर संबंधित बोर्ड द्वारा तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि इसके साथ संबंधित बोर्ड द्वारा प्रोफार्मा के रूप में या अन्यथा मांगी गई सभी अनिवार्य सूचना संलग्न नहीं की जाएगी।

परंतु, इसके सहारे से ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा जाएगा जो आवेदन जमा करते समय या आवेदन जमा करने के बाद आवेदक से अतिरिक्त सूचना मांगने के लिए संबंधित बोर्ड को बाध्य करेगा या प्रतिबंधित करेगा। यदि संबंधित बोर्ड द्वारा अतिरिक्त सूचना मांगी जाती है, तो आवेदक का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी सूचना यथाशीघ्र या संबंधित बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत करे।

**9. संबंधित बोर्ड द्वारा आवेदन की जांच -** अधिनियम के समग्र उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, इन विनियमों में अन्यत्र कही गई किसी भी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संबंधित बोर्ड उपरोक्त धारा 8 के तहत प्राप्त आवेदन का मूल्यांकन निम्नलिखित में से सभी या किसी भी व्यापक मानदंड के आधार पर करेगा -

- क. भारत में ऐसी प्रस्तावित चिकित्सा योग्यता को मान्यता देने की वांछनीयता और व्यवहार्यता के संदर्भ में समग्र प्रभाव।
- ख. क्या मान्यता के लिए प्रस्तावित चिकित्सा योग्यता पर्याप्त शैक्षणिक तपस्या, गुणवत्ता, मानक शिक्षण दृष्टिकोण आदि का परिणाम है।
- ग. एक बार मान्यता मिल जाने के बाद प्रस्तावित चिकित्सा योग्यता चिकित्सा सेवाओं की मांग करते समय जनता के मन में भ्रम पैदा नहीं करेगी।
- घ. भारत में सार्वजनिक नीति पर ऐसी मान्यता का समग्र प्रभाव।
- ङ. इस संबंध में ऐसे किसी भी अन्य सोच-विचार को संबंधित बोर्डों द्वारा अधिसूचित किया जाना है।

**10. इन विनियमों की धारा 8 या अन्यत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संबंधित बोर्ड प्रस्तावित चिकित्सा योग्यताओं को मान्यता देने के लिए आवेदन पर विचार करते समय आवेदक से कोई अतिरिक्त सूचना या स्पष्टीकरण या अतिरिक्त दस्तावेज मांग सकता है।**

11. संबंधित बोर्ड से संचार प्राप्त होने की तारीख से निर्दिष्ट समय या 30 दिन के भीतर, जो भी पहले हो, आवेदक उपरोक्त मांगी गई ऐसी सूचना या स्पष्टीकरण या अतिरिक्त दस्तावेज प्रदान या प्रस्तुत करेगा।

परंतु निर्दिष्ट समय के भीतर बोर्ड द्वारा यथाअपेक्षित कमी को दूर करने या ठीक करने या ऐसी सूचना या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने या अतिरिक्त दस्तावेज आदि प्रदान करने में विफलता का परिणाम अस्वीकृति होगी।

12. इन विनियमों में या अन्यत्र कही गई किसी भी बात के बावजूद, सूची में शामिल करने के लिए प्रस्तावित चिकित्सा योग्यता को मान्यता देने से पहले संबंधित बोर्ड अपने विवेक से मूल्यांकन की उपयुक्त पद्धति का निर्धारण करेगा।

परंतु मूल्यांकन की ऐसी उपयुक्त पद्धति में डिजिटल या भौतिक रूप में दस्तावेजों का सत्यापन, लाइव वीडियो फीड, फोटोग्राफ या भौतिक निरीक्षण, जैसा भी मामला हो, के माध्यम से सत्यापन शामिल होगा, लेकिन यह इतने तक ही सीमित नहीं होगा।

13. **मूल्यांकन का परिणाम और चिकित्सा योग्यता की मान्यता** - किए गए मूल्यांकन के अनुसार, संबंधित बोर्ड नई मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता को सूची में शामिल करेगा, और छह महीने के भीतर आवेदक को इसकी सूचना देगा।

परंतु यह कि यदि संबंधित बोर्ड उचित मूल्यांकन के बाद चिकित्सा योग्यता को मान्यता देने के लिए प्रस्तुत आवेदन को अस्वीकार करना चाहता है, तो वह आवेदक को सुनवाई का उचित अवसर दिए जाने के बाद ऐसा कर सकता है, और आवेदक को यथाशीघ्र सूचित करेगा।

14. **आयोग के समक्ष अपील** - कोई चिकित्सा संस्थान या विदेशी प्राधिकरण चिकित्सा योग्यता को मान्यता देने के लिए अपने आवेदन के संबंध में संबंधित बोर्ड के निर्णय की सूचना प्राप्त होने की तारीख से साठ दिन के भीतर किसी भी निर्णय के खिलाफ आयोग के समक्ष अपील दायर कर सकता है।

15. **केंद्र सरकार के समक्ष अपील** - जहां कोई आवेदक इन विनियमों की धारा 16 के तहत आयोग के निर्णय से व्यथित है, या जहां आयोग ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर अपना निर्णय देने में विफल रहता है, पीडित पक्ष ऐसे आदेश की तारीख या समय व्यतीत होने की तारीख, जैसा भी मामला हो, से तीस दिन के भीतर केंद्र सरकार के समक्ष अपील कर सकता है।

#### अध्याय IV - योग्यता की मान्यता को वापस लेना

16. यदि स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड या स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड, जैसा भी मामला हो, यूजीएमईआर या पीजीएमईआर में उल्लिखित योग्यताओं की अनुसूची या सूची से किसी योग्यता को वापस लेने का निर्णय लेता है, तो अनुसूची में सूचीबद्ध योग्यताएं वापस ली जाएंगी; संबंधित बोर्ड निम्नलिखित आधारों पर ऐसा कर सकता है:

- 1) पूर्ववर्ती एमसीआई/एनएमसी द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर शुरु में अनुमोदित योग्यताएं वापस ली जा सकती हैं, यदि ऐसी योग्यता अब प्रासंगिक नहीं है;
- 2) वैकल्पिक पाठ्यक्रम उपलब्ध है;
- 3) भारतीय या अंतरराष्ट्रीय निकायों से योग्यताएं, जो कोई भी मानक निर्धारित किए बिना पूर्ववर्ती एमसीआई/एनएमसी द्वारा स्वीकार की गई हैं, यदि एनएमसी के तहत निर्धारित मानकों के साथ वैकल्पिक पाठ्यक्रम हैं।

17. **आयोग को वापस लेने की सिफारिश करना** - चिकित्सा योग्यता की मान्यता वापस लेने के लिए बोर्डों में से किसी एक या चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड की सिफारिश प्राप्त होने पर आयोग पहली बार में इसकी जांच करेगा और यदि आवश्यक होगा तो संबंधित चिकित्सा संस्थान से अतिरिक्त सूचना भी मांग सकता है और यदि इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि -

क. अध्ययन के पाठ्यक्रम और आयोजित की जाने वाली परीक्षा या चिकित्सा संस्थान द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में उम्मीदवारों से अपेक्षित दक्षता स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड या स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड, जैसा भी मामला हो, द्वारा निर्दिष्ट मानकों के अनुरूप नहीं है।

ख. चिकित्सा संस्थान में अवसंरचना, संकाय और शिक्षा की गुणवत्ता के संबंध में यथास्थिति स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड या स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों और मानदंडों का चिकित्सा संस्थान द्वारा पालन नहीं किया जाता और ऐसा चिकित्सा संस्थान निर्दिष्ट न्यूनतम मानकों को बनाए रखने के लिए आवश्यक

सुधारात्मक कार्रवाई करने में विफल रहा है और चिकित्सा संस्थान उक्त चिकित्सा योग्यता प्रदान करने के लिए निर्धारित मानकों को बनाए रखने में विफल रहा है।

**18. आयोग द्वारा मान्यता को वापस लेने का निर्णय लेना** - उपरोक्त धारा 18 के अनुसार निष्कर्ष निकालने में मदद के लिए, आयोग संबंधित चिकित्सा संस्थान या विदेशी प्राधिकरण के संबंध में रिपोर्ट तुरंत संबंधित बोर्ड (स्नातक या स्नातकोत्तर) को अंग्रेषित करेगा और चिकित्सा योग्यता की मान्यता को वापस लेने की अधिसूचना निकालने के लिए ऐसे बोर्ड को निर्देश देगा।

परंतु यह कि आयोग के आदेश की प्राप्ति पर, यथास्थिति स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड या स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड चिकित्सा संस्थान या विदेशी प्राधिकरण के नाम के सामने की गई संबंधित प्रविष्टि में संशोधन करेगा, जिसमें यह दर्शाया जाएगा कि उक्त चिकित्सा योग्यता की मान्यता को उत्तरव्यापी प्रभाव से वापस लिया जा रहा है।

**19. मान्यता वापस लेने से पहले सुनवाई का उचित देना** - उपरोक्त किसी भी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी चिकित्सा संस्थान या विदेशी प्राधिकरण के संबंध में चिकित्सा योग्यता की मान्यता को वापस लेना, संबंधित चिकित्सा संस्थान या विदेशी चिकित्सा प्राधिकरण को उचित अवसर दिए बिना नहीं होगा।

डॉ. विपुल अग्रवाल, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./656/2023-24]

**टिप्पणी :** ये विनियम अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में प्रकाशित किया जा रहे हैं, इन विनियमों की व्याख्या के बारे में कोई भी संदेह होने पर अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

## NATIONAL MEDICAL COMMISSION

### NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 2023

**No. CDN-19012/5/2023-Coord-NMC (i).**—In exercise of overall authority vested with the National Medical Commission, and specifically vide sub-sections (zp), (zq), (zr), (zs), (zt) of sub-section (2) of Section 57 sub-section (1)(j) of section 24, sub-section (1)(i) of section 25, sub-section (1)(f) of section 26, read with Sections 35, 36, 37, 38, 39 and 40 of the National Medical Commission Act, 2019 (Act 30 of 2019), the National Medical Commission makes the following Regulations :-

#### CHAPTER I – PRELIMINARY, SHORT-TITLE, DEFINITIONS

- 1. Nomenclature** – These Regulations may be called the National Medical Commission (Recognition of Medical Qualification) Regulations, 2023; and in its abbreviated form as “NMC Recognition” Regulations.
- 2. Commencement of the Regulations** – All these Regulations shall come into force from the day of publication.
- 3. Definitions** – In these Regulations, unless the context otherwise requires the terms defined herein shall bear the meaning assigned to them below and their cognate expressions and variations shall be construed accordingly –
  - a. “**Act**” shall mean the National Medical Commission Act, 2019 (Act No. 30 of 2019).
  - b. “**Commission**” shall mean National Medical Commission established by Section 3 of the National Medical Commission Act, 2019.
  - c. “**Foreign Authority**” shall mean an authority in any country outside India, which by the law of that country is entrusted or endowed with the power of recognition of medical qualifications in that country, making an application to the Commission seeking recognition of their medical qualification or qualifications in India.
  - d. “**List**” shall mean the list of recognized medical qualifications in India, prepared as per Section 35 of the Act, by the concerned Board.
  - e. “**Medical Institution**” shall mean a medical institution as defined in subsection (i) of Section 2 of the National Medical Commission Act, 2019 and shall also include medical college in its commonly understood form.
  - f. “**PGMEB**” shall mean the Post Graduate Medical Education Board, duly constituted under Sec. 16 of National Medical Commission Act.

- g. **“Inspection”** – the expression or activity of inspection shall include virtual and/or physical inspection and/or evaluation of actual and/or digital records or information.
- h. **“MSR”** shall mean the Minimum Standards of Requirements as Notified by either of the Boards (UGMEB or PGMEB) as the case may be from time to time, which shall also include explanatory notes, circulars, advisories etc., issued by these Boards or Commission.
- i. **“UGMEB”** shall mean the Under Graduate Medical Education Board, duly constituted under Sub-section (1)(a) of Section 16 of the National Medical Commission Act.

**4. Interpretation** – Words and phrases used in these Regulations which are not defined here, but defined in the National Medical Commission Act, 2019 shall have the same meaning assigned to them there.

## CHAPTER II –COMPREHENSIVE LIST OF RECOGNISED MEDICAL QUALIFICATIONS IN INDIA

**5. Maintenance of list of recognized medical qualifications**– List of recognised medical qualifications in India to be maintained by the Under Graduate Medical Education Board (UGMEB) in respect of undergraduate medical qualifications and the Post Graduate Medical Education Board (PGMEB) for the post-graduate medical qualification.

- i. List of Recognised Under Graduate qualifications:  
M.B.B.S. (Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery)
- ii. List of Recognised Post-Graduate qualifications:
  - a. Post-graduate Broad Speciality Qualifications [M.D. (Doctor of Medicine)/ M.S. (Master of Surgery)] – **Annexure-I of the PGMER-2023**
  - b. Post-graduate Super Speciality Courses [ D.M. (Doctorate of Medicine)/ M.Ch (Master of Chirurgie)]- **Annexure-II of the PGMER-2023**
  - c. Post-graduate Diploma Courses - **Annexure-III of the PGMER-2023**
  - d. Post-Doctoral Certificate Courses (PDCC)- **Annexure-IV of the PGMER-2023**
  - e. Post-Doctoral Fellowship (PDF)- **Annexure-V of the PGMER-2023**
  - f. D.M./M.Ch. Courses of six years duration - **Annexure-VI of the PGMER-2023**
- iii. List of the categories of Medical qualifications granted by Statutory Body or Other body in India as per the Schedule to NMC Act, 2019
- iv. List of qualifications as per Part-I of the Third Schedule of the Indian Medical Council Act, 1956
- v. List of qualifications as per Second Schedule and Part-II of the Third Schedule of the Indian Medical Council Act, 1956

Provided, without prejudice to the above such prepared list of medical qualifications in India shall be updated regularly and published by the respective Boards.

The list of approved courses (Schedule- I) will be maintained by the respective Boards (UGMEB and PGMEB) and will be updated from time to time.

## CHAPTER III – INCLUSION OF NEW MEDICAL QUALIFICATIONS

**6. Application for inclusion of new medical qualification** – Acceptance of an application for a new qualification shall be subject to consideration of necessity by the respective Board.

Any medical institution conferring an undergraduate or postgraduate or super-speciality medical qualification may apply to the concerned Board, along with such documents and information, for inclusion of any new medical qualification, which is not already included in the list.

Provided a foreign authority shall submit its application to the concerned Board along with such documents and information for inclusion of any medical qualification, which is not already included in the list.

**7. Application fee** – No such application indicated in Section 8 shall be considered by the concerned Board unless submitted with INR 2,50,000/- (Rupees two lakh and fifty thousand only) per qualification as fees.

Provided any foreign authority in any country outside India, entrusted with the recognition shall remit \$10,000 (US dollars ten thousand only) per qualification as fees to the Commission while submitting its application in a proforma.

**8. Furnishing of information, additional information etc.** – No application submitted under Section 8 shall be entertained by the respective Board unless it is appended with all mandated information sought by way of proforma or otherwise by the respective Board.

Provided, nothing shall be read herewith, to constrain or restrict the respective Board to seek additional information from the applicant while submitting the application or after submitting the application. If asked for additional information by the respective Board, it shall be the duty of the applicant to submit such information as early as possible or within the time specified by the respective Board.

**9. Examination of the application by the respective Board** – Keeping in mind the overall objective of the Act, without prejudice to anything stated elsewhere in these Regulations, the respective Board shall evaluate the application received under Section 8 above, based on all or any of the following broad criteria –

- a. the overall impact in terms of desirability and feasibility of recognition of such proposed medical qualification in India.
- b. Whether the proposed medical qualification for recognition is the outcome of sufficient academic rigour, quality, standard learning approaches etc.,
- c. Once given recognition the proposed medical qualification would not create confusion in the mind of the public while seeking medical services.
- d. The overall impact of such recognition upon the public policy in India.
- e. Any such other considerations are to be Notified by the respective Boards in this regard.

**10.** Without prejudice to section 8 or elsewhere in these Regulations, the respective Board may seek any additional information or clarification or additional documents from the applicant while considering the application for a grant of recognition to the proposed medical qualifications.

**11.** The applicant shall provide or furnish such information or clarification or additional documents sought above, within a specified time or 30 days, whichever is earlier, from the date of receipt of communication from the respective Board.

Provided failure to remove or correct the deficiency or submit such information or clarification or provide additional documents etc., as required by the Board within a specified time shall result in the rejection.

**12.** Notwithstanding anything stated in these Regulations or elsewhere, the respective Board at its sole discretion determine the appropriate method of evaluation before grant of recognition of the proposed medical qualification to be included in the list.

Provided such appropriate method of evaluation shall include, but not be limited to verification of documents in digital or physical form, verification through a live video feed, photographs, or physical inspection as the case may be.

**13. Evaluation result and recognition of medical qualification** – As per the evaluation carried out, the respective Board shall include the newly recognized medical qualification into the list, and communicate the same to the applicant within six months.

Provided that, if the respective Board after due evaluation, rejects the application submitted to it for recognition of a medical qualification, may do so after the grant of reasonable opportunity of being heard to the applicant, and shall communicate to the applicant at the earliest.

**14. Appeal to the Commission** – A medical institution or a foreign authority may file an appeal before the Commission against any decision regarding their application for a grant of recognition to the medical qualification, within sixty days from the date of receipt of communication of the decision by the respective Board.

**15. Appeal to the Central Government** – Where an applicant is aggrieved by the decision of the Commission under Section 16 of these Regulations, or where the Commission fails to give its decision within sixty days from the date of receipt of such an application, the aggrieved party may prefer an appeal before the Central Government within thirty days from the date of such order or lapse of time, as the case may be.

#### CHAPTER IV – WITHDRAWAL OF RECOGNITION OF QUALIFICATION

**16. The qualifications listed in the schedule to be withdrawn** if the Undergraduate Medical Education Board or the Post Graduate Medical Education Board, as the case may be, decides to withdraw a qualification from the schedule or the list of qualifications mentioned in the UGMER or PGMER, the respective Board may do so on the following grounds;

- 1) Qualifications initially approved by the erstwhile MCI/ NMC, based on the set of standards prescribed by them can be withdrawn, if such qualification is no more relevant;
- 2) Alternative course is available;
- 3) Qualifications from Indian or international bodies, accepted by erstwhile MCI/ NMC without prescription of any standards, if there are alternative courses prescribed with standards, under NMC.

**17. Recommending withdrawal to the Commission** – The Commission on receipt of the recommendation of either of the Boards or Medical Assessment and Rating Board for withdrawal of recognition of medical qualification, shall examine the same in the first instance and may also seek further information from the concerned medical institution, if required and if arrives at the conclusion that –

- a. The courses of study and examination to be undergone or the proficiency required from candidates at any examination held by the medical institution does not conform to the standards specified by the Undergraduate Medical Education Board or the Post Graduate Medical Education Board, as the case may be
- b. The standards and norms for infrastructure, faculty and quality of education in the medical institution as determined by the Undergraduate Medical Education Board or the Postgraduate Medical Education Board, as the case may be, are not adhered to by the medical institution, and such medical institution has failed to take necessary corrective action to maintain specified minimum standards and the medical institution has failed to maintain the prescribed standards for imparting of the said medical qualification.

**18. Commission deciding the withdrawal of recognition** – In furtherance of forming a conclusion as per section 18 above, the Commission shall forthwith forward the report in respect of the concerned medical institution or a foreign authority to the respective Board (undergraduate or postgraduate) and direct such Board to Notify the withdrawal of recognition of medical qualification.

Provided that the Undergraduate Medical Education Board or the Postgraduate Medical Education Board, as the case may be, on receipt of the Order of the Commission, shall amend the concerned entry made against the name of the medical institution or a foreign authority indicating that the said medical qualification's recognition is being withdrawn prospectively.

**19. Reasonable audience prior to the withdrawal of recognition** – Without prejudice to anything stated above, no withdrawal of recognition of a medical qualification vis-à-vis a medical institution or a foreign authority shall happen without the grant of a reasonable opportunity to the medical institution or a foreign medical authority concerned.

Dr. VIPUL AGGARWAL, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./656/2023-24]

**Note :** These Regulations are being published in English and Hindi, the English version shall prevail in case of any doubt about the interpretation of these Regulations.